भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1301

09 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: नियंत्रित खेती

1301. श्री बंदी संजय कुमार:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास "नियंत्रित खेती" और "फसल के पैटर्न के विनियमित करने" को लागू करने की शक्ति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास राज्य सरकार द्वारा सुझाई गई फसल की खेती करने में विफल रहने वाले भू-धारक किसानों की इनपुट राजसहायता रोकने और उनकी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से इनकार करने की शक्ति है: और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत कृषि राज्य का विषय होने के नाते, राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से कृषि क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास, अपने संबंधित राज्यों के लिए संभावित योजनाएं विकसित करने तथा कृषि एवं किसान कल्याण के विकास हेतु उचित विधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(ख) एवं (ग): भारत सरकार केंद्रीय प्रायोजित स्कीम तथा केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत किसानों को प्रोत्साहन देने सहित विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण के विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करती है। राज्य सरकार कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है तथा किसानों के लिए उचित कार्रवाई एवं सुझाव/ दिशानिर्देशों की पहल करती है ताकि राज्य में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उचित इनपुट सब्सिडी वितरण, कृषि उपज की खरीद इत्यादि सुनिश्चित हो सके।

*****